(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–944–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–06–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–61/निग0/03–04

....

1– श्रीमती जिरिया पत्नी रामावतार अहिर

2– श्रीमती विफनी पत्नी रामकरण उपददन

3– गंगा प्रसाद तनय रामकरण

4– मान प्रसाद तनय रामकरण

5– श्रीमती फुलउआ पत्नी रामधारी

6– चतुर्भुन तनय रामधारी

7– भागीरथी तनय रामधारी

8– रामसनेही तनय रामधारी

9– रामचरित्र तनय छोटकऊ

10– कन्हई तनय रामऔतार

11– जागमती पुत्री रामऔतार

12– जुगुल पुत्री रामऔतार

13– कलामती पुत्र रामऔतार

14– पत्ती पुत्री रामऔतार

15– दइया पुत्री रामऔतार नाबालिग बली माँ जिरिया पत्नी रामऔतार

सभी निवासी–ग्राम गडेरिया, तहसील–सिंगरौली,

जिला–सीधी(म0प्र0) ––––आवेदकगण

विरूद्ध

मनमोहन तनय बबन यादव

निवासी–ग्राम गड़ेरिया, तहसील सिंगरौली, जिला–सीधी

––––––अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मनमोहन द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम गढ़रिया की भूमि खसरा क्र0 527 रकबा 1.50 एकड़ दिनांक 10.04.99 को आवेदकगण ने अपंजीकृत बयनामा से क्रय किया तथा क्रय दिनांक से ही भूमि पर काबिज कास्त करता चला आ रहा है। तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.05.1995 के द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुण–दोषों के आधार पर विधि के अनुसार निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 105/निगरानी/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2004 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने दिनांक 10.06.2004 को. सारहीन होने से निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदिका जिरिया बाई को प्रश्नाधीन भूमि में से 1/10 हिस्सा प्राप्त था। शेष भूमि का बटवारा

अन्य आवेदकगण के नाम दर्ज है। अतः नामांतरण नहीं किया जा सकता है। विक्रय दिनांक के समय व प्रकरण क्रमांक 872/अ–6/81–82 में पारित में आदेश दिनांक 01.09.1982 के पूर्व में कौन–कौन भूमिस्वामी थे, कितने रकबे के थे, की जानकारी लेकर एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुण–दोष के आधार पर विधिनुसार प्रकरण का निराकरण किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है वह विधिसंगत प्रतीत होता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। जिससे उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 61/निग0/03–04 में पारित आदेश दिनांक 10–06–2004 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 10–06–2004 विधिअनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,